विक्रय की उद्घोषणा
(नियम 20 व 54)
न्यायालय खनि अभियंता(वसूली) खान एवं भू–विज्ञान विभाग, नागौर

क्रमांक/खअ/नागौर/वसूली/2024/1703 दिनांक 25/09/24

विक्रय–उद्घोषणा

न्यायालय खनि. अभियन्ता (वसूली), खान एवं भू–विज्ञान विभाग,नागौर

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 (राजस्थान एक्ट 15 ऑफ 1956 की धारा 230/235/237) के अधिन चूक करने वाले **श्री हनुमान पुत्र गोपाराम, श्रीमती भिखी पत्नी मांगीलाल, तथा श्री मदनलाल, छोटुराम, खेताराम, हरिराम पुत्र श्री मांगीलाल ब्रहामण, हरिराम पुत्र श्री भीखाराम, जाति विश्नोई, नारायण पुत्र श्री रामदेव चौधरी, अर्जुनराम पुत्र श्री राधाकिशन जाट, रामस्वरूप पुत्र श्री रामबक्स माली, निवासी भेड़, तहसील खींवसर, जिला नागौर** द्वारा देय राजस्व लगान की बकाया तथा कुर्क करने का खर्चा तथा विक्रय का खर्चा जो कि उक्त अनुसूची में बताया गया है वसूल करने के लिये संलग्न अनुसूची में वर्णित कुर्क की हुई सम्पति के विक्रय के लिये इस न्यायालय द्वारा आज्ञा दे दी गई है। विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा होगा और अनुसूची में बताये गये समूहों (लाट्स) में सम्पति का विक्रय किया जावेगा।

स्थान को आज्ञा के अभाव में विक्रय खनि कार्यदेशक खनि कार्यदेशक द्वितीय/सर्वेयर (अधिकारी का नाम बताया जाये) **श्री सुरेन्द्र कुमार दिवराया खनि कार्यदेशक द्वितीय** के द्वारा दिनांक 25-10-2024 .....को 10 Am बजे (विक्रय का स्थान बताया जाये) में किया जायेगा तथापि किसी भी प्लाट की बोली खत्म होने से पहले अनुसूची में निर्दिष्ट बकाया तथा विक्रय के खर्चे दे दिये या चुका दिये जाने की दशा में विक्रय बन्द कर दिया जायेगा।

सामान्यतः विक्रय के समय जनता या ता व्यक्तिगत रूप से या किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिये आमन्त्रित की जाती है। तथापि उपरोक्त चूक करने वाले द्वारा या उसकी ओर से कोई बोली न तो मन्जूर की जावेगी और न उसके नाम कोई विक्रय, न्यायालय द्वारा पहले दी गई स्पष्ट अनुमति के बिना, वैध होगा।

विक्रय की अन्य शर्तें निम्नलिखित हैं–

1. निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट ब्योरे न्यायालय की सर्वोत्कृष्ट सूचना के आधार पर दिये गये हैं। परन्तु इस उद्घोषणा में कोई त्रुटि गलत विवरण या भूल होने के लिये न्यायालय का उत्तरदायी नहीं होगा।
2. वह रकम जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जायेगी विक्रय करने वाले अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी बोली की रकम या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा ये लाट को तुरन्त नीलाम के लिये फिर से रखा जायेगा।
3. सबसे उंची बोली लगाने वाला किसी भी लाट का खरीददार घोषित किया जाएगा किन्तु हमेशा यह शर्त रहेगी कि बोली लगाने के लिये बोधिक रूप से योग्य हो और यह भी शर्त है कि सबसे उंची बोली को मन्जूर करने से इन्कार करना उस हालत में न्यायालय या विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा जब कि बोली गई कीमत इतने स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसा करना ही उचित होगा।
4. सदैव कोड आफ सिविल प्रोसीजर के आर्डर 21 नियम 9 के प्रावधानों के अधीन अभिलिखित कारणों से विक्रय को स्थापित करना, विक्रय करने वाले अधिकारी के विवके पर निर्भर रहेगा।
5. चल सम्पति की दशा में प्रत्येक लाट का मूल्य विक्रय के समय या विक्रय करने वाले अधिकारी के निर्देश देने के तुरन्त पश्चात् चुका दिया जायेगा और भुगतान न करने पर सम्पति पर तुरन्त फिर से बोली लगाई जायेगी उनको फिर से बेचा जायेगा।

एल आर एक्ट 2024

पीठासीन अधिकारी
न्यायालय खनि अभियन्ता (वसूली)
नागौर